उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 24/2026/288पू0वि0नि0/35-1-2026
लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2026

कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र

नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 18/2026/24पू0वि0नि0/35-1-2026-1839204 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि (राज्याश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद मऊ की 01 परियोजना (जनपद मऊ में मीरपुर चट्टी से मूसहर बस्ती होते हुए एकौना तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य) के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप में रू0 44.31 लाख (रू0 चौवालीस लाख इकतीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 23.03.2026 के प्रस्तर-3 (शर्ते एवं प्रतिबंध) के बिन्दु 2, 3, 6, 10, 11, 14 एवं 18 में मुख्य विकास अधिकारी के स्थान पर त्रुटिवश जिलाधिकारी तथा पृष्ठांकन में क्रमांक-8 पर जिलाधिकारी के स्थान पर त्रुटिवश मुख्य विकास अधिकारी अंकित हो गया है।

3. अत: शासनादेश दिनांक 23.03.2026 के प्रस्तर-3 (शर्ते एवं प्रतिबंध) के बिन्दु 2, 3, 6, 10, 11, 14 एवं 18 में जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी तथा पृष्ठांकन में क्रमांक-8 पर मुख्य विकास अधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारीपढ़ा जाय।

4. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 23.03.2026 को उक्त सीमा तक एतदद्वारा संशोधित किया जाता है। उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल।
8. जिलाधिकारी,मऊ (शासनादेश संख्या: 18/2026/24पू0वि0नि0/35-1-2026-1839204 दिनांक 23.03.2026 की प्रति सहित)।
9. मुख्य विकास अधिकारी, मऊ ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मऊ ।
11. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मऊ ।
13. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मऊ ।
14. गार्ड फाइल।

संलग्नक यथोक्त।

आज्ञा से,
(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।